वृक्षारोपण कार्य पर निगरानी रखने हेतु एक विभाग की स्थापना

7937. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों तथा पूरक वृक्षारोपण कार्यों पर निगरानी रखने हेतु एक विभाग की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने-कितने पौधे लगाये गये तथा उनमें से कितने पौधे जीवित बचे हुए हैं ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वृक्षारोपण की जीवितता दर की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों की अपनी-अपनी प्रणालियां और कार्यतंत्र हैं । पर्यावरण और वन मंत्रालय में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 16 के तहत स्वतंत्र विशेषज्ञों, संगठनों तथा संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण की जीवितता दर का अध्ययन कराकर विभिन्न वनीकरण कार्यक्रमों की निगरानी करता है । ये अध्ययन एक वर्ष में देश के लगभग 50 चयनित जिलों में किए जाते हैं । वर्ष 1991–92 तथा 1992–93 के जीवितता दर अध्ययनों के ब्यौरे अनुपत्र में हैं । [देखिए परिशिष्ट 173, अनुबंध सं० 179 और 180] । इन अध्ययनों से पता चलता है कि वृक्षों की जीवितता प्रतिशत में स्थानवार, प्रजातिवार भिन्नता के आधार पर रोपई के एक वर्ष बाद वृक्षारोपण की समग्र जीवितता दर 55% से 80% तक रही। पिछले तीन वर्षों में वनीकरण के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र और वितरित की गई पौध के राज्यवार ब्यौरे अनुपत्र में हैं । [देखिए परिशिष्ट 173, अनुबंध सं० 181]

भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से देश में वन आवरण के मूल्यांकन में लगा हुआ है । वनावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्येक दो वर्षों में प्रकाशित होने वाली स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है । वर्ष 1987 तथा 1989 की स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट से प्रति वर्ष 47,500 हैक्टेयर तक वनावरण की क्षति होने का पता चलता है । तथापि वर्ष 1991 की स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट से वनावरण में 28,000 हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि का और वर्ष 1993 की स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट से 1100 हैक्टेयर की वार्षिक वृद्धि का पता चलता है ।

Prosecution of IAS Officers against Violation of Forest Act

7938. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether according to the Hindustan Times of the 9th April, 1995, the IAS Officers in Bhubaneswar had to face prosecution for violation of the Forest Act in that State during the Janata Dal regime;

(b) if so, the reaction of Government in this regard; and

(c) the steps proposed to be taken in regard to such violations elsewhere, in other States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) The Government of Orissa through its Department of Steel and Mines, has been found to be granting extension of mining leases on its expiry on forest lands without obtaining prior approval of the competent authority after 25.10.1980 when the Forest (Conservation) Act 1980 came into force. The Regional office, Bhubaneswar have framed a chargesheet against the officials and have sought the State Government's permission to prosecute them Names and designations of the officials are given in the Statement. enclosed. (*See* below).